

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक : 28 मई, 2019

संख्या:1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-7234/श्री दिवेश सेहरा, भा0प्र0से0 (2005), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर(अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, समस्तीपुर) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री दिवेश सेहरा अगले आदेश तक विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या:1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-7235/श्री चन्द्रशेखर सिंह, भा0प्र0से0(2006), संयुक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें समस्तीपुर जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री चन्द्रशेखर सिंह अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, समस्तीपुर के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या:1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-7236/श्री दीपक आनन्द, भा0प्र0से0 (2007) (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक अपर सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या:1/पी0-1001/2018-सा0प्र0-7237/श्री एम0 रामचन्द्रुडु, भा0प्र0से0 (2009), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी (अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या:1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-7238/डॉ0 रणजीत कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (जी जे: 2008), अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें सीतामढ़ी जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. डॉ0 रणजीत कुमार सिंह अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।


28/5

संख्या:1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-7239/श्री संजीव कुमार, भा0प्र0से0 (2012), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा (अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, भोजपुर, आरा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या:1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-7240/श्री रोशन कुशवाहा, भा0प्र0से0(2014), उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, वैशाली, हाजीपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें भोजपुर, आरा जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री रोशन कुशवाहा अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



28.5.19
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-7240/पटना-15,दिनांक: 28 मई, 2019

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले. एवं ह.) ,बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/ मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित विभाग/संबंधित पदाधिकारी/ संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त /संबंधित जिला पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0.मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, एवं 06 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. भा0प्र0से0(वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 (1) के तहत श्री दिवेश सेहरा के पदस्थापन से संबंधित पद(प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, पटना) को उनके पदस्थापन काल तक के लिए भा0प्र0से0 के विशेष सचिव के समतुल्य घोषित किया जाता है।


28.5.19
सरकार के अवर सचिव।